E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222566

# कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांकः– 810 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, सितम्बर 24, ,2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय– **जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत सिर्जित राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता (कुण्डादानकोट) के भवन निर्माण हेतु 2.00 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता, रूद्रप्रयाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।**
**PROPOSAL NO.- FP/UK/OTHERS/44711/2020**

सन्दर्भ– **आपकी पत्र सं0 410 / FP/UK/OTHERS/44711/2020 दिनांक 08.08.2022**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 863 / 12–1(2) दिनॉक 09.09.2022 से अवगत कराया गया है कि विषयांकित प्रकरण में आपके स्तर से लगायी गई आपत्ति का निराकरण प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता, रूद्रप्रयाग ने अपने पत्रांक 209 / भूमि ह0 / 2022–23 दिनॉक 03.09.2022 से निम्नप्रकार प्रेषित किया गया है तथा जिसे प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन पार्ट–। के Additional information detail के क्र0सं0 44 में अपलोड किया गया है।

| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | It is seen that the proposal is for non-site specific activity. State govt. is requested to submit the proposal in view of the guideline para 1.15.<br><br>बिन्दु संख्या–1 के अनुपालन में तथ्यात्मक सूचना / आख्या ऑनलाईन अपलोड करते हुये हार्ड प्रति में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 863 / 12–1(2) दिनॉक 09.09.2022 से अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव non-site specific activity के लिए तैयार किया गया है एवं प्रस्ताव को guideline para 1.15 के अनुसार प्रस्तुत किया गया है, पॉलीटैक्निक के निर्माण हेतु तल्लानागपुर क्षेत्र के आस–पास ग्राम स्तर, निजी एवं राजस्व स्तर पर उपयुक्त वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के कारण ही वन भूमि पर (खसरा संख्या–3308 मध्ये 0.040 है0 भूमि, खसरा सं0–3391 मध्ये–0.700 है0 भूमि, खसरा सं0–4158 मध्ये–0.400 है0 एवं खसरा सं0–4059 मध्ये–0.860 है0 भूमि का चयन किया गया है। उपरोक्त के सन्दर्भ में आस–पास के ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के प्रमाण पत्र एवं राजस्व स्तर पर राजस्व विभाग से हस्ताक्षरित वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण पत्रों की मूल प्रति पूर्व में प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग की पत्र संख्या–139 / 12–1(2) दिनांक 15.07.2022 एवं इस कार्यालय की पत्र सं0 303 / 12–1 दिनांक 29.07.2022 के द्वारा उच्च स्तर को प्रेषित की गई है एवं सत्यापित छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। उक्त आपत्ति के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रमाणित **"परियोजना के निर्माण हेतु अन्यत्र उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होने"** का प्रमाण पत्र भी तैयार किया गया जो इस पत्र के साथ प्रेषित किया जा रहा है उपरोक्त से सम्बन्धित प्रपत्र ऑनलाइन पोर्टल के पार्ट–। के additional document के क्रमांक–15, 18 एवं 43 में अपलोड कर दिये गये हैं तथा प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न कर प्रेषित है। |

**क्रमशः पेज 02 पर**

JAIDEEP

| | | |
|---|---|---|
| 2 | It is seen that 8 ha area selected for CA against 2 ha area proposed for diversion. Further, in one document it is mentioned that 8 ha area is selected for penal CA. State Govt. may submit a detailed report if any violation found in the proposal.<br><br>बिन्दु संख्या–14 के अनुपालन में प्रकरण में हुये उल्लंघन के संबंध में विस्तृत आख्या ऑनलाईन अपलोड करते हुये हार्ड प्रति में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 863 / 12–1(2) दिनॉक 09.09.2022 से अवगत कराया गया है कि प्रकरण में हुये उल्लंघन के संबंध में प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत अगस्त्यमुनि रेंज ने अपने पत्रांक–260 / 12 दिनांक 23.10.2015 **(संलग्नक–1)** के द्वारा संबंधित विभाग को बिना वन भूमि हस्तान्तरण के किये जा रहे निर्माण कार्य पर तत्काल कार्य पर रोक लगाये जाने हेतु नोटिस जारी किया गया तथा इस कार्यालय को सूचित किया गया। उक्त के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा उनके पत्रांक–372 / भूमि विषयक–2015–16 दिनांक 04.11. 2015 **(संलग्नक–2)** के द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित स्थल राजस्व भूमि / 9(ख)–2 तथा वहां पर कोई जंगल न होने के कारण जानकारी के अभाव में निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया, जिसकी सूचना इस कार्यालय के पत्रांक–1304 / 12–1(2) दिनांक 05.11.2015 **(संलग्नक–3)** के द्वारा वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को प्रेषित की गई एवं प्रकरण का दिनांक 06.11.2015 को स्थलीय निरीक्षण कर उल्लघन संबंधित विवरण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट **(संलग्नक–4)** तथा परिवेश पोर्टल के पैरा–11 **(संलग्नक–5)** में अंकित कर ऑनलाईन अपलोड किया गया। तत्पश्चात् प्रकरण में अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या–1320/X-4-15/1(654)/2015 दिनांक 10.02.2016 **(संलग्नक–6)** के द्वारा 03 बिन्दुओं पर आपत्ति लगाई गई, जिनकी सूचना कर इस कार्यालय की पत्र संख्या–2417 / 12–1(2) दिनांक 02.04.2016 **(संलग्नक–7)** के द्वारा नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित की गई, एवं नोडल अधिकारी देहरादून ने अपने पत्रांक– 3423 /FP /UK /OTHERS /14241/2015 दिनांक 17.05.2016 **(संलग्नक–8)** के द्वारा उक्त सूचना उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की गई। पुनः प्रकरण में अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या–524/X-4-16/1(654)/2015 दिनांक 11.07.2016 **(संलग्नक–9)** के द्वारा 03 बिन्दुओं पर आपत्ति लगाई गई, जिनकी सूचना इस कार्यालय की पत्र संख्या–213 / 12–1(2) दिनांक 29. 07.2016 **(संलग्नक–10)** के द्वारा नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित की गई, तत्पश्चात् प्रकरण में अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या–912/X-4-18/1(654)/2015 दिनांक 10.09.2015 **(संलग्नक–11)** के द्वारा दिनांक 05.09.2018 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार ***(वर्तमान में उस आपत्ति का निराकरण करने की अपेक्षा उचित यह होगा कि नये सिरे से वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव अपलोड किया जाय। Forest (Conservation) Act, 1980 के संबंध में भारत सरकार द्वारा स्पष्टीकरण नियम (Guidelines & Clarifications) के बिन्दु संख्या–4. 3(ii) के अन्तर्गत Penal Compensatory afforestation का प्राविधान है। अतः विभाग के स्तर से Penal Compensatory afforestation के इस प्राविधान के अन्तर्गत Penal Compensatory afforestation दिलवा दिया जाय ताकि प्रस्ताव आसानी से बिना किसी आपत्ति के पारित हो सके)*** प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु संबंधित बिन्दु / बैठक का कार्यवृत्त नोडल अधिकारी, देहरादून की पत्र संख्या–793/FP/UK/OTHERS /14241/2015 दिनांक 17.09.2018 **(संलग्नक–12)** के द्वारा प्रभागीय कार्यालय एवं प्रस्तावक विभाग को प्रेषित किया गया। तत्पश्चात् उपरोक्तानुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा पूर्व में अपलोड किये गये प्रस्ताव को withdraw कर नया प्रस्ताव तैयार कर परिवेश पोर्टल पर अपलोड करते हुये उच्च स्तर को प्रेषित किया गया है। |

अतः उपरोक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

JAIDEEP